खान आयुक्त का न्यायालय

विविध वाद संख्या–04 / 2026

जिला–पटना

मधुरेन्द्र सिंह ..... वादकर्ता

बनाम

समाहर्त्ता, पटना.....एवं अन्य ..... प्रतिपक्ष

आदेश

09.07.2026

1. वर्तमान कार्यवाही माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा CWJC No.4547/2026 मधुरेन्द्र सिंह बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में दिनांक 14.05.2026 को पारित आदेश के अनुपालन में प्रारंभ की गई। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 14.05.2026 के आदेश से याचिकाकर्त्ता के अभ्यावेदन संदर्भ संख्या–75, दिनांक 23.02.2026 (Annexure P/5 to the Petition) को अगले तीन माह में निष्पादित करने का निदेश दिया गया।

2. माननीय न्यायालय के आदेश अनुपालन में याचिकाकर्त्ता को उपस्थित होकर पक्ष रखने हेतु नोटिस जारी किया गया। याचिकाकर्त्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर पक्ष रखा गया कि उनके पक्ष में पटना जिलान्तर्गत निसरपुरा बालूघाट कलस्टर संख्या–12 आवंटित है, जिसकी पट्टा अवधि वर्ष 2024–2029 तक के लिए है। उनके द्वारा प्रथम वर्ष की राशि रू0 20,78,10,900 / – (बीस करोड़ अठहत्तर लाख दस हजार नौ सौ रू0 मात्र) एवं द्वितीय वर्ष की राशि रू0 24,93,73,080 / – (चौबीस करोड़ तिरानवे लाख तिहतर हजार अस्सी रू0 मात्र) का ससमय भुगतान किया गया। प्रशासन एवं संबंधित विभाग के द्वारा रैयत के सहमति के बावजूद घाट का रास्ता जनवरी, 2026 से अबतक बाधित है। जिसके संबंध में उनके द्वारा अभ्यावेदन दिनांक 21.01.2026 से सूचित किया गया है। विभाग के

पत्रांक–324/एम0 पटना, दिनांक 29.01.2026 से तृतीय वर्ष हेतु बंदोबस्ती राशि रू0 29,92,47,696/– (उनतीस करोड़ बानवे लाख सैंतालिस हजार छः सौ छियानवे रू0 मात्र) जमा करने का निदेश दिया गया, जो उनके द्वारा दिनांक 03.02.2026 से 21.02.2026 तक भुगतान कर दिया गया है। विभाग द्वारा दिनांक 04.02.2026 से 21.02.2026 तक ई–चालान सिस्टम बंद कर दिया गया, जिससे घाट संचालन बाधित हुआ। याचिकाकर्त्ता द्वारा बालूघाट की बंदोबस्ती अवधि को उक्त कारण से विस्तार करने अथवा समानुपातिक राशि वापस करने का अनुरोध किया गया।

3. याचिकाकर्त्ता को सुना एवं अभिलेखों को देखा। पटना जिलान्तर्गत बालूघाट सोन कलस्टर–12 याचिकाकर्त्ता श्री मधुरेन्द्र सिंह के पक्ष में दिनांक 22.02.2024 से पॉच वर्ष के लिए बंदोबस्त है। बन्दोबस्तधारी द्वारा दिनांक–23.02.2026 को समर्पित अभ्यावेदन में वर्णित है कि प्रशासन एवं संबंधित विभाग के द्वारा किसान के सहमति के बावजूद बालूघाट का रास्ता जनवरी 2026 से अब तक बाधित है। इस संबंध में खनिज विकास पदाधिकारी, पटना के पत्रांक–1399, दिनांक–08.06.2026 से प्रतिवेदित किया गया है कि बिहार बालू खनन नीति की कंडिका–16(i) के अनुसार बालूघाटों/नदी तल तक बालू के परिवहन के प्रयोजनार्थ पहुँच पथ (अप्रोच रोड़) का निर्माण बन्दोबस्तधारी द्वारा स्वयं किये जाने का प्रावधान है। बंदोबस्तधारी से प्राप्त आवेदन के आलोक में समाहर्त्ता, पटना के पत्रांक–334, दिनांक–30.01.2026 द्वारा जॉच हेतु नगर पुलिस अधीक्षक, पश्चिमी, पटना, अपर जिला दण्डाधिकारी (विधि–व्यवस्था), पटना एवं अनुमण्डल पदाधिकारी, दानापुर, जिला–पटना को सम्मिलित करते हुए त्रिस्तरीय जॉच समिति गठित की गई थी। उक्त समिति द्वारा समर्पित जॉच प्रतिवेदन ज्ञापांक–215, दिनांक–09.02.2026 द्वारा स्पष्ट किया गया है कि कलस्टर–12 एवं 17–A के बीच विवादित रास्ता में किसी भी कलस्टर के पास सभी रैयतों से सहमति प्राप्त नहीं है। सुनवाई के दौरान बंदोबस्तधारी के अधिवक्ता से यह पूछे जाने पर कि प्रशासन द्वारा

रास्ता बंद करने/बैरेकेटिंग किए जाने के दौरान क्या उनके द्वारा समाहर्त्ता अथवा खनिज विकास पदाधिकारी, पटना को ससमय सूचना दी गई थी, इस संबंध में उनके द्वारा कोई उत्तर समर्पित नहीं किया गया। इसलिए वह इस संबंध में किसी छूट के हकदार नहीं हैं। वैसे भी बंदोबस्तधारी द्वारा निविदा दस्तावेज की सभी शर्तों को स्वीकार कर ही निविदा में भाग लिया गया था, जिसमें कंडिका–42 (xii) में यह स्पष्ट प्रावधानित है कि मार्ग व्यवधान होने पर सरकार द्वारा कोई क्षतिपूर्ति देय नहीं होगा।

4. बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण निवारण) नियमावली, 2019 (यथा संशोधित) के नियम–29 ख(3) एवं निविदा दस्तावेज की कंडिका संख्या–24(ii)(ख) के अनुसार प्रथम वर्ष में पट्टा निविदा निष्पादन की तिथि से एक वर्ष पूरा होने के 60 दिन पूर्व और अनुक्रमिक वर्षों में इसी प्रक्रिया का पालन करते हुए प्रथम किस्त की राशि जमा किया जाना है। निविदा दस्तावेज में यह भी वर्णित है कि यदि किस्तों के भुगतान करने में बंदोबस्तधारी असफल होता है तो आगे की ई–चालान सिस्टम द्वारा बंद कर दिया जायेगा और केवल अग्रिम भुगतान कर दिये जाने के बाद ही खोला जायेगा एवं इसके लिए किसी तरह के क्षतिपूर्ति का कोई दावा मान्य नहीं होगा।

5. उपरोक्त प्रावधान के आलोक में बंदोबस्तधारी को तृतीय बंदोबस्ती वर्ष के प्रथम किस्त की राशि का भुगतान दिनांक 21.12.2025 तक करना था। निर्धारित भुगतान अवधि के अनुरूप जिला खनन कार्यालय, पटना के पत्रांक–2631/एम0, दिनांक 13.12.2025 से मांग पत्र निर्गत किये जाने के बावजूद बंदोबस्तधारी द्वारा निर्धारित अवधि तक किस्त का भुगतान नहीं किया गया। जिला खनन कार्यालय, पटना के पत्रांक–324/एम0, दिनांक 29.01.2026 से 24 घंटे के अंदर राशि भुगतान करने अन्यथा ई–चालान निर्गमन बंद करने एवं बंदोबस्ती को रद्द करने की कार्रवाई करने संबंधी नोटिस बंदोबस्तधारी को दिया गया। दिनांक 02.02.2026 तक प्रथम किस्त की राशि का भुगतान नहीं

किये जाने के कारण बिहार बालू खनन नीति, 2019 की कंडिका–9(iii), निविदा दस्तावेज की कंडिका–24(ii) तथा पट्टा संविदा के भाग–V की कंडिका–1(iii) के तहत् ई–चालान बंद करने का अनुरोध समाहर्त्ता, पटना के पत्रांक–349, दिनांक–02.02.2026 द्वारा विभाग से किया गया, जिसके आलोक में उनका ई–चालान बंद किया गया। तृतीय किस्त की राशि बंदोबस्तधारी द्वारा दिनांक 21.02.2026 को जिला खनन कार्यालय में समर्पित करने के पश्चात् समाहर्त्ता, पटना के पत्रांक–540, दिनांक–23.02.2026 से ई–चालान निर्गमन चालू करने का अनुरोध विभाग से किया गया, जिसके आलोक में पुनः ई–चालान निर्गमन प्रारंभ किया गया है।

6. उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि बंदोबस्तधारी द्वारा देय किस्त की राशि का भुगतान निर्धारित अवधि में नहीं करने के कारण ही ई–चालान बंद किया गया था, जिसके लिए वह स्वयं दोषी हैं, एवं इस संबंध में क्षतिपूर्ति का कोई दावा मान्य योग्य नहीं है।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं प्रावधानों के आलोक में याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन दिनांक–23.02.2026 को अस्वीकृत किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

ह0/–
(अवनीश कुमार सिंह)
सचिव–सह–खान आयुक्त,
खान एवं भूतत्व विभाग,
बिहार, पटना।

ह0/–
(अवनीश कुमार सिंह)
सचिव–सह–खान आयुक्त,
खान एवं भूतत्व विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांकः– 4438 एम0, पटना, दिनांक– 10/07/26

प्रतिलिपिः– समाहर्त्ता, पटना/खनिज विकास पदाधिकारी, जिला खनन कार्यालय, पटना/ श्री मधुरेन्द्र सिंह, पिता–मेदी सिंह, ग्राम+पो0–इकबालगंज निसरपुरा, पो0–रानी तालाब कनपा, जिला–पटना, ईमेल–goldenraj48@gmail.com/ आई0टी0 मैनेजर, खान एवं भूतत्व विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित।

10.7.26
विधि पदाधिकारी